सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 43/17 निर्णय दिनांकः 11–06–2019

1. बृजलाल
2. बीरमाराम
3. बंशीलाल
4. हड़मानराम
5. मनफुल
5. श्यामसुन्दर

पिसरान शिवलाल नाई निवासी बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. रामनाारायण पुत्र रामरख
2. जगदीश पुत्र हरीराम
3. रामस्वरूप पुत्र हरीराम

जाति बिश्नोई निवासी बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।
5. एसबीबीजे शाखा सुरपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक, सुरपुरा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 19–08–2016

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक
4. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 19–08–2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही सिन्धु के खेत खसरा नम्बर 146, 149 व 150 में पश्चिम से पूर्व में मध्य से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके रोही सिन्ध के खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 146 तादादी 9.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 147 तादादी 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 148 तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 151 तादादी 8.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 152 तादादी 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 178 तादादी 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 179 तादादी 9.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 663/154 तादादी 0.65 हेक्टर कुल तादादी 29.37 हेक्टर स्थित है।

अपीलांट के खसरा नम्बर 146 तादादी 9.59 हेक्टर भूमि के पश्चिम में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के खसरा नम्बर 149 की 5.67 हेक्टर भूमि तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पश्चिम में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खसरा नम्बर 150 की 5.31 हेक्टर भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पश्चिम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 137 तादादी 8.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 138 तादादी 2.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 638/150 तादादी 1.06 हेक्टर कुल तादादी 11.70 हेक्टर भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खेत खसरा नम्बर 137, 138 व 638/150 में आवागमन हेतु खेत खसरा नम्बर 146, 149 व 150 में से नये रास्ता कायम करने हेतु बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में

से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251 ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते

की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ तकनीकी बिन्दु को गौण रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। लिहाजा अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट I पेज 441, आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II राज पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2010 पार्ट I पेज 174, आरएलडब्ल्यू 2009 पार्ट I पेज 151, आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट II पेज 995, आरबीजे 2016 पेज 539 व आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम मियांद पर बहस करते हुए कथन किया अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं आये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नियमानुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जिसकी तामील होने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने हेतु कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट मियांद के बिन्दु पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिन्धु के खसरा नम्बर 137 में रकबा 8.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 138 में 2.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 638/150 में 1.06 हेक्टर कुल रकबा 11.70 हेक्टर भूमि है। जिस पर प्रार्थीनी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान बनाकर मय पशुधन हवास कर रहे है तथा प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 146, 149 व 150 में से आपसी सहमति से आवागमन करता आ रहा है तथा जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रही है। अपीलांट अक्सर राजनीतिवश रास्ते को लेकर झगड़ा फसाद करते है क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दिये जाने व रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो आवागमन में असुविधा होगी तथा उसके हितों पर कुठाराधात होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी उपरान्त प्रार्थी को अपने खेत मं आवगमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खेत खसरा नम्बर 146, 149 व 150 रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2016 पार्ट I राज पेज 201, डीएनजे 2014 एससी पेज 310, डीएनजे 2014 एससी पेज 467, डीएनजे 2010 एससी पेज 295 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील का निस्तारण मियांद के बिन्दु पर किये जाने का कथन किया है। जबकि अपील में मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर मियांद बिन्दु का निस्तारण किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उभय पक्षों की सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु पर बहस के साथ–साथ गुणावगुण पर बहस सुनी गई। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत होने के कारण अपील का निस्तारण मियांद बिन्दु पर किये जाने का कथन किया। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को ही सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2008 आरजे पार्ट II पेज 1142 की नजीर प्रस्तुत की गई है जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Condonation to delay - Appeal against the order dated 28.05.1970 was filed on 02.12.2003 after delay of 32 years Add. Commissioner condoned delay and allowed application u/sec. 5 Held - While condoning delay, it is not the length of period which is material but sufficiency of the ground for condonation is more important- impugned order explicity states that there is substantial question of law and justice is involved in the appeal-when substantial question of justice is pitted against technical consideration of limitation, substantial justice should be given preference and appeal should be

decided on merits., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हमने अपीलाधीन आदेश व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के कथन मात्र के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकओं का अवलोकन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2015 से निरन्तर दिनांक 05–08–2016 तक 17 पेशियों तक संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त चाहे जाने पर भी तहसीलदार द्वारा रास्ते के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि न्यायालय द्वारा इस संबंध में लगातार अपेक्षा की जाती रही है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वयं धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट के पास आवागमन हेतु वकैल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य खातेदारों के खेत से होकर रास्ता अपनी सुविधा के लिए चाहा गया है, ऐसी स्थिति में अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार(प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। नियम 69 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि enquity and disposal of application - on receipt of an application in form 1, the sub-divisioial officer shall either inspect the site himself or get inspected by an officer not below the rank of the inspector land record and invite objections from the affected persons. The sub divisional officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfiec that-

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं की गई है व बिना रिपोर्ट प्राप्त किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर प्रभावित पक्षों की न्यूनतम क्षति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाना था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा अपीलांट के खेत के बीच में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। इसके बजाय यदि अपीलांट के खेत की सीमा से लगते हुए भी रास्ता निकाला जा सकता था ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 19—08—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नियम 69 की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11—06—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर